



विन्ध्याटहार



गुलाम नबी आजाद का यू-टर्न, नहीं लड़ेंगे चुनाव

5

सूर्य कुमार की नम्र 1 की कुर्सी पर खतरा

6

पहले चरण की छह सीटों पर 88 प्रत्याशी

1.13 करोड़ मतदाता आज करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला

भोपाल। मध्य प्रदेश में पहले चरण की 6 सीटों छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, सीधी, बालाघाट और शहडोल में मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पुरी तैयारी कर ली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि पहले चरण की छह सीटों दो सीट शहडोल और मंडला अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों पर 88 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। इसमें 81 पुरुष और 7 महिला प्रत्याशी हैं। सबसे ज्यादा 19 उम्मीदवार जबलपुर और सबसे कम 10 उम्मीदवार शहडोल में हैं।

पहले चरण की सीटों पर सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान शुरू होने के 90 मिनट पहले माँक पोल शुरू होगी। बालाघाट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली तीन

विधानसभा सीट बैंद्र, लंजी और परसवाड़ा में मैं सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा।

प्रथम चरण में 1 करोड़ 13 लाख 9 हजार 636 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसमें 57 लाख 20 हजार 780 पुरुष, 55 लाख 88 हजार 669 महिला और 187 थर्ड जेंडर वोटर हैं।

प्रथम चरण के कुल मतदाता में 20 से 29 साल के मतदाताओं की संख्या 26 लाख 54 हजार 434 है। वहीं, 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या 3 लाख 44 हजार 244 है। इसके अलावा 100 साल से अधिक उम्र के 771 और 85 साल से अधिक उम्र के 46 हजार 463 मतदाता हैं। सबसे ज्यादा 10 मतदाताओं की संख्या 10 हजार 522, अप्रैल

विधानसभा सीट बैंद्र, लंजी और परसवाड़ा में मैं मैं सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। प्रथम चरण में 1 करोड़ 13 लाख 9 हजार 636 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसमें 57 लाख 20 हजार 780 पुरुष, 55 लाख 88 हजार 669 महिला और 187 थर्ड जेंडर वोटर हैं।

प्रथम चरण के कुल मतदाता में 20 से 29 साल के मतदाताओं की संख्या 26 लाख 54 हजार 434 है। वहीं, 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या 3 लाख 44 हजार 244 है। इसके अलावा 100 साल से अधिक उम्र के 771 और 85 साल से अधिक उम्र के 46 हजार 463 मतदाता हैं। सबसे ज्यादा 10 मतदाताओं की संख्या 10 हजार 522, अप्रैल

और सबसे कम छिंदवाड़ा में 16 लाख 32 हजार 190 है। मंडला और बालाघाट में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। मंडला में 10 लाख 51 हजार 542 महिला और 10 लाख 50 हजार 253 पुरुष मतदाता हैं। वहीं, 491 उम्मीदवार मतदान केंद्र बनाएं गए हैं। 2651 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। आकस्मिक सेवा के लिए एक हेलीकॉप्टर को मतदान दिवस के दिन पूर्व 18 अप्रैल से 19 अप्रैल को मतदान संचालन होने तक बालाघाट और एक एयर एंड्रोलोन्स को जबलपुर में रखा गया है। पहले चरण में 85 वर्ष से अधिक उम्र के 5466 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से घर पर मतदान किया। वहीं, 2881 दिव्यांग मतदाताओं ने होम वोटिंग की सुविधा का लाभ लेकर मतदान किया और 536 अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया है।

प्रतिशत रिजर्व मतदान कर्मी नियुक्त किए गए हैं। इसमें 1118 मतदान केंद्र महिलाओं के द्वारा संचालित किए जाएंगे। 33 मतदान केंद्र दिव्यांग संचालित करेंगे। वहीं, 491 उम्मीदवार मतदान केंद्र बनाएं गए हैं। 2651 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। आकस्मिक सेवा के लिए एक हेलीकॉप्टर को मतदान दिवस के दिन पूर्व 18 अप्रैल से 19 अप्रैल को मतदान संचालन होने तक बालाघाट और एक एयर एंड्रोलोन्स को जबलपुर में रखा गया है। पहले चरण में 85 वर्ष से अधिक उम्र के 5466 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से घर पर मतदान किया। वहीं, 2881 दिव्यांग मतदाताओं ने होम वोटिंग की सुविधा का लाभ लेकर मतदान किया और 536 अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया है।

मतदाता 31 और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1 लाख 42 346, शहडोल में 17 लाख 77 हजार 185, सीधी में 20 लाख 28 हजार 451 है। प्रथम चरण में 13 हजार 588 मतदान केंद्र बनाएं गए हैं। इन पर 54 हजार 352 के साथ ही 10

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 44 634 है।

प्रथ

फ्लेक्टर ने मतदान सामग्री वितरण का किया अवलोकन, मतदान दल रवाना

सीधी

लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 11-सीधी के लिए मतदान 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 11-सीधी में चार विधानसभा क्षेत्र 76-चुरहट, 77-सीधी, 78-सिहावल तथा 82-धौहीनी शामिल हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में बनाये गये 1208 मतदान केंद्रों में 10 लाख 35 हजार 505 मतदान आपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।



निर्धारित मतदान केंद्र में पहुंच गये हैं। मतदान दलों को जीपीएस स्वरोचिष्य सोमवंशी तथा अधिकारियों एवं मान्यता प्राप्त राजेतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी पुराना भवन से निर्धारित बसों से रवाना हुए देर तक सभी मतदान दल

उपरांत सामग्री वितरण का कार्य प्रारंभ हुआ। कलेक्टर श्री सोमवंशी के निर्देशन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल धोटे, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने मतदान दलों के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की थी।

विधानसभा वाहनों की व्यवस्था में चार विधानसभा क्षेत्र 76-चुरहट, 77-सीधी, 78-सिहावल तथा 82-धौहीनी शामिल हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में बनाये गये 1208 मतदान केंद्रों में 10 लाख 35 हजार 505 मतदान आपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से की मतदान की अपील



सीधी। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 11-सीधी के लिए मतदान 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 11-सीधी, 76-चुरहट, 77-सीधी, 78-सिहावल तथा 82-धौहीनी शामिल हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में बनाये गये 1208 मतदान केंद्रों में 10 लाख 35 हजार 505 मतदाता आपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचिष्य सोमवंशी ने की साथ

मतदान के लिए 19 अप्रैल को श्रमिकों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

सीधी। श्रम पदाधिकारी ने जनकारी देकर बताया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा के आम निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम 2024 जारी किया गया है। उक्त निर्धारित कार्यक्रम अनुसार राज्य के संसदीय क्षेत्र-11 सीधी में दिनांक 19.04.2024 को मतदान होगा।

भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्यप्रदेश के प्रति दिनांक 16.03.2024 में अवगत कराया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व

अधिनियम 1951 की धारा 135-ख के प्रावधानुसार निर्वाचन के दौरान मतदान दिवसों को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित

प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने हेतु सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाने के निर्देश हैं तथा यह उड़ाक्ष है कि यह निर्देश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होगे जिनकी अनुपस्थिति से उस नियोजन में कोई खतरा या सारावन हानि स्वेच्छा हो सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत दैनिक वेतनन्धाकस्पिक श्रमिक भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरुद्ध दण्ड के प्रावधान हैं।

उहोंने दिनांक 19.04.2024 को होने वाले लोकसभा संसदीय क्षेत्र-11 सीधी निर्वाचन 2024 के दिनांक 19.04.2024 को जिले के सभी कारोबारी व्यवसायिक स्थापनाओं के तत्त्व को जब्त कर लिया जायेगा। उक्त प्रतिनिधित्व

प्रदान करेंगे।

उपर्युक्त निर्देशों का समुचित परिपालन जिले के कारखानों के अधिभोगीणों, प्रबंधकों तथा दुकानों, व्यवसायियों, कारोबारियों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजकों तथा प्रबंधकों द्वारा सुनिश्चित किया जावे।

मतदान केन्द्र के 100 मीटर की दूरी के भीतर कोई प्रचार नहीं किया जायेगा

सीधी। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 11-सीधी के लिए मतदान 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान दिनांक 19.04.2024 को मतदान केन्द्र के 100 मीटर की दूरी के भीतर मतदान केन्द्र या किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान के भीतर कोई प्रचार नहीं किया जायेगा। मतदान दिनांक 19.04.2024 को निर्वाचन सम्बन्धी होने तक मतदान केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति मोबाइल, कार्डिलेस फोन्स का उपयोग नहीं करेगा, परन्तु यह प्रतिवर्ध वीटारीन अधिकारी एवं निर्वाचन आयोग के प्रेसक्रम, सुरक्षा में लगे अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

मतदाताओं को अशासकीय मतदाता पहचान पर्ची जारी करने हेतु मतदान केन्द्रों की परिधि के 200 मीटर के बूथ मतदान केन्द्र का बोर्ड हो और उसके पास साथ में फोटो परिचय पत्र अथवा शासन

पूर्व उपरिके को अनुपस्थित होगा।

मतदाताओं को अशासकीय

मतदाता पहचान पर्ची जारी करने हेतु मतदान केन्द्रों की परिधि के 200 मीटर के बूथ मतदान केन्द्र का बोर्ड हो और उसके पास साथ में

फोटो परिचय पत्र अथवा शासन

पूर्व उपरिके को अनुपस्थित होगा।

मतदाताओं को अशासकीय

मतदाता पहचान पर्ची जारी करने हेतु मतदान केन्द्रों की परिधि के 200 मीटर के बूथ मतदान केन्द्र का बोर्ड हो और उसके पास साथ में

फोटो परिचय पत्र अथवा शासन

पूर्व उपरिके को अनुपस्थित होगा।

मतदाताओं को अशासकीय

मतदाता पहचान पर्ची जारी करने हेतु मतदान केन्द्रों की परिधि के 200 मीटर के बूथ मतदान केन्द्र का बोर्ड हो और उसके पास साथ में

फोटो परिचय पत्र अथवा शासन

पूर्व उपरिके को अनुपस्थित होगा।

मतदाताओं को अशासकीय

मतदाता पहचान पर्ची जारी करने हेतु मतदान केन्द्रों की परिधि के 200 मीटर के बूथ मतदान केन्द्र का बोर्ड हो और उसके पास साथ में

फोटो परिचय पत्र अथवा शासन

पूर्व उपरिके को अनुपस्थित होगा।

मतदाताओं को अशासकीय

मतदाता पहचान पर्ची जारी करने हेतु मतदान केन्द्रों की परिधि के 200 मीटर के बूथ मतदान केन्द्र का बोर्ड हो और उसके पास साथ में

फोटो परिचय पत्र अथवा शासन

पूर्व उपरिके को अनुपस्थित होगा।

मतदाताओं को अशासकीय

मतदाता पहचान पर्ची जारी करने हेतु मतदान केन्द्रों की परिधि के 200 मीटर के बूथ मतदान केन्द्र का बोर्ड हो और उसके पास साथ में

फोटो परिचय पत्र अथवा शासन

पूर्व उपरिके को अनुपस्थित होगा।

मतदाताओं को अशासकीय

मतदाता पहचान पर्ची जारी करने हेतु मतदान केन्द्रों की परिधि के 200 मीटर के बूथ मतदान केन्द्र का बोर्ड हो और उसके पास साथ में

फोटो परिचय पत्र अथवा शासन

पूर्व उपरिके को अनुपस्थित होगा।

मतदाताओं को अशासकीय

मतदाता पहचान पर्ची जारी करने हेतु मतदान केन्द्रों की परिधि के 200 मीटर के बूथ मतदान केन्द्र का बोर्ड हो और उसके पास साथ में

फोटो परिचय पत्र अथवा शासन

पूर्व उपरिके को अनुपस्थित होगा।

मतदाताओं को अशासकीय

मतदाता पहचान पर्ची जारी करने हेतु मतदान केन्द्रों की परिधि के 200 मीटर के बूथ मतदान केन्द्र का बोर्ड हो और उसके पास साथ में

फोटो परिचय पत्र अथवा शासन

पूर्व उपरिके को अनुपस्थित होगा।

मतदाताओं को अशासकीय

मतदाता पहचान पर्ची जारी करने हेतु मतदान केन्द्रों की परिधि के 200 मीटर के बूथ मतदान केन्द्र का बोर्ड हो और उसके पास साथ में

फोटो परिचय पत्र अथवा शासन

पूर्व उपरिके को अनुपस्थित होगा।

मतदाताओं को अशासकीय

मतदाता पहचान पर्ची जारी

